राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511287, 2511288, ई–मेल: office.mdnrhm@gmail.com

विज्ञापन क्रमांक/NHM/HR/2022/NS-29/107 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/04/2022

–:: संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन ::–

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रदेश के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाईयों को सुदृढ़ करने के लिये **SNCU/NBSU** अंतर्गत निम्नांकित रिक्त संविदा पदों की पूर्ति हेतु योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in के माध्यम से **दिनांक 12/04/2022 से 26/04/2022 सायं 05:00** बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

1. पदों का विवरण :–

स. क्र.	जिला	स्टाफ नर्स–एस.एन.सी.यू.					स्टाफ नर्स–एन.बी.एस.यू.					सचिवीय सहायक (Secretarial Assistant)				
		कुल पद	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल पद	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल पद	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	बालोद	**11**	5	1	3	2	**18**	8	1	6	3	**1**	1	0	0	0
2	बलौदाबाजार	**0**	0	0	0	0	**24**	12	5	3	4	**0**	0	0	0	0
3	बलरामपुर	**11**	2	0	7	2	**9**	2	1	5	1	**1**	1	0	0	0
4	बस्तर	**44**	10	1	27	6	**12**	2	0	8	2	**1**	1	0	0	0
5	बेमेतरा	**11**	7	2	1	1	**15**	10	2	1	2	**1**	1	0	0	0
6	बीजापुर	**11**	1	1	8	1	**9**	0	1	7	1	**1**	1	0	0	0
7	बिलासपुर	**22**	12	4	3	3	**15**	8	3	2	2	**0**	0	0	0	0
8	दंतेवाड़ा	**11**	1	0	8	2	**9**	1	0	7	1	**0**	0	0	0	0
9	धमतरी	**11**	6	1	3	1	**12**	6	1	3	2	**0**	0	0	0	0
10	दुर्ग	**22**	15	3	1	3	**24**	16	3	2	3	**0**	0	0	0	0

स. क्र.	जिला	स्टाफ नर्स–एस.एन.सी.यू.					स्टाफ नर्स–एन.बी.एस.यू.					सचिवीय सहायक (Secretarial Assistant)				
		कुल पद	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल पद	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल पद	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
11	गरियाबंद	**11**	4	1	4	2	**21**	8	2	8	3	**1**	1	0	0	0
12	गौरेला–पेण्ड्र –मरवाही	**0**	0	0	0	0	**9**	2	1	5	1	**0**	0	0	0	0
13	जांजगीर–चांपा	**11**	6	2	1	2	**19**	9	6	3	1	**1**	1	0	0	0
14	जशपुर	**11**	2	1	7	1	**24**	5	1	15	3	**1**	1	0	0	0
15	कांकेर	**11**	3	1	6	1	**5**	1	0	4	0	**1**	1	0	0	0
16	कवर्धा	**11**	6	1	2	2	**2**	1	0	0	1	**0**	0	0	0	0
17	कोण्डागांव	**11**	1	1	8	1	**6**	1	0	4	1	**1**	1	0	0	0
18	कोरबा	**11**	4	1	5	1	**15**	5	2	6	2	**0**	0	0	0	0
19	कोरिया	**11**	4	1	5	1	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
20	महासमुंद	**11**	5	1	3	2	**18**	8	2	5	3	**0**	0	0	0	0
21	मुंगेली	**11**	5	3	1	2	**12**	6	3	1	2	**1**	1	0	0	0
22	नारायणपुर	**11**	1	0	8	2	**0**	0	0	0	0	**1**	1	0	0	0
23	रायगढ़	**11**	4	1	4	2	**24**	9	3	9	3	**0**	0	0	0	0
24	रायपुर	**44**	29	7	2	6	**21**	14	3	1	3	**0**	0	0	0	0
25	राजनांदगांव	**22**	11	2	6	3	**30**	15	3	8	4	**0**	0	0	0	0
26	सुकमा	**11**	1	0	9	1	**9**	1	0	7	1	**1**	1	0	0	0
27	सूरजपुर	**11**	4	1	5	1	**24**	9	1	11	3	**1**	1	0	0	0
28	सरगुजा	**34**	9	2	18	5	**18**	4	1	10	3	**0**	0	0	0	0
कुल योग –		**408**	**158**	**39**	**155**	**56**	**404**	**166**	**45**	**137**	**56**	**14**	**14**	**0**	**0**	**0**

02. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं मानदेय :–

स.क्र.	पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह
1	स्टाफ नर्स (एस.एन.सी.यू.)	• बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण के साथ पद से संबंधित 2 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा जी.एन.एम. उत्तीर्ण के साथ पद से संबंधित 3 वर्ष का कार्य अनुभव • नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। **(शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के एस.एन.सी.यू. में पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।)**	16,000 /–
2	स्टाफ नर्स (एन.बी.एस.यू.)	• बी.एस.सी. नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण के साथ पद से संबंधित 2 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा जी.एन.एम. उत्तीर्ण के साथ पद से संबंधित 3 वर्ष का कार्य अनुभव • नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। **(शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के एस.एन.सी.यू. / एन.बी.एस.यू. में पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।)**	16,000 /–
3	सचिवीय सहायक (Secretarial Assistant)	• बी.ई. (कम्प्यूटर साइंस) / बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस) / बी.सी.ए. **अथवा** किसी भी विषय में स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा। **कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी (5000 की–डिप्रेशन प्रति घंटा)।** **(शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के एस.एन.सी.यू. / एन.बी.एस.यू. में पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।)**	13,650 /–

03. आयु सीमा :–

01 जनवरी, 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जायेगी।

भर्ती के संबंध में दिशा–निर्देश

01. आवेदन पत्र के संबंध में

1.1 आवेदक विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में विज्ञापन का प्रारूप देख सकते है।

1.2 **दिनांक 12/04/2022 से 26/04/2022 सायं 05:00** बजे तक विभागीय वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

1.3 विज्ञापन प्रकाशन तिथि तक समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकर नहीं किये जायेंगे। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन में संलग्न करना सुनिश्चित करें अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

02. आवेदन शुल्क :–

संवर्ग	शुल्क का विवरण
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	100
अन्य पिछड़ा वर्ग	200
अनारक्षित वर्ग	300

2.1 आवेदन हेतु शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही देय होगा। पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। **अपूर्ण (Incomplete)**/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी, ऐसे आवेदन पत्र तत्काल अमान्य कर दिये जावेंगे।

2.2 **आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाईन आवेदन पोर्टल में दिये गये Fee Payment link में Click करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान करने के पश्चात् किये गये भुगतान का विवरण Applicaion Fee Section में भरकर Final Submit of Application पर Click करें। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित विस्तृत विवरण ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।**

2.3 आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते है। किंतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र भरना होगा। परीक्षा शुल्क एक बार ही देय होगा तथा उक्त शुल्क भुगतान का Reference Number समस्त आवेदनों में अंकित कर Final Submit करना अनिवार्य होगा।

03. भर्ती प्रक्रिया :–

3.1 प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रुटनी उपरांत दावा–आपत्ति हेतु पात्र–अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में पृथक से किया जायेगा। **समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।**

3.2 अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण–पत्र नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र किया जावेगा।

3.3 संबंधित जिले के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उसी जिले के मूल निवासियों को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी, संबंधित जिले में पात्र अभ्यर्थी नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित संभाग अंतर्गत अन्य जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को द्वितीय प्राथमिकता दी जावेगी। यदि संबंधित संभाग में भी पात्र अभ्यर्थी नहीं पाये जाते हैं तो रिक्त पदों की पूर्ति छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से की जावेगी।

3.4 प्राप्त आवेदनो में से रिक्तियों के आधार पर नीचे तालिका में दिये गये विवरण अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/हेतु आमंत्रित किया जावेगा :–

क्र.	कुल विज्ञापित पदो की संख्या	स्क्रीनिंग/लिखित/कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 3 गुना

3.5 स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के समय दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होना अनिवार्य है :–

- 10वीं परीक्षा की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- स्नातक/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची।
- एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा (DEO पद पर आवेदित अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य)।
- संबंधित डिग्री सर्टिफिकेट।

- संबंधित काउंसिल/रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण–पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो हो)
- अनुभव प्रमाण–पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो एक नग।
- अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)।

3.6 **स्टाफ नर्स पद हेतु चयन प्रक्रिया :–**

3.6.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का–85 प्रतिशत।

3.6.2 (अ). अनुभव 15 अंक – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को 3 अंक प्रति वर्ष के आधार पर अधिकतम 15 अंक देय होगा।

(ब). अनुभव 10 अंक – अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को 02 अंक प्रति वर्ष के आधार पर अधिकतम 10 अंक देय होगा।

(स). अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनांक 07 दिसम्बर 2021 माध्यम से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं छः माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जायेगा।

नोट – **अभ्यर्थी द्वारा यदि बिन्दु अ, ब, स तीनों में से दो अथवा अधिक अनुभव प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दोनो अथवा तीनों में से जिसका अंक अधिक हो केवल एक का ही लाभ दिया जावेगा।**

3.6.3 अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के होने पर ही अनुभव अंक हेतु नियमानुसार मान्य होंगे। निजी संस्थाओं के अनुभव को केवल पात्रता हेतु मान्य किया जावेगा, परन्तु उनके एवज में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे। पद से संबंधित कार्य अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक का लाभ दिया जावेगा।

3.6.4 मेरिट सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का 85 प्रतिशत अंक एवं अनुभव/बोनस अंक के योग के आधार पर तैयार की जावेगी।

3.6.5 **शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के एस.एन.सी.यू./एन.बी.एस.यू. में पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी।**

3.6.6 उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का प्राथमिकता क्रम में वर्गवार मेरिट क्रम में सूची का प्रकाशन किया जायेगा। तत्पश्चात् मेरिट सूची में अवस्थित अभ्यर्थियों को दस्तावेज परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेज परीक्षण में दस्तावेजों के अभाव/त्रुटी पाये जाने अथवा गलत जानकारी देने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

3.6.7 दस्तावेज परीक्षण में पात्र पाये जाने वाले अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन किया जावेगा।

3.7 **सचिवीय सहायक (Secretarial Assistant) पद हेतु चयन प्रक्रिया :–**

3.7.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का–65 प्रतिशत + अनुभव/बोनस के 10/15 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर लिखित/कौशल परीक्षा हेतु सूची जारी की जावेगी।

3.7.2 (अ). अनुभव 15 अंक – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को 3 अंक प्रति वर्ष के आधार पर अधिकतम 15 अंक देय होगा।

(ब). अनुभव 10 अंक – अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को 2 अंक प्रति वर्ष के आधार पर अधिकतम 10 अंक देय होगा।

(स). अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनांक 07 दिसम्बर 2021 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं छः माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जायेगा।

नोट – अभ्यर्थी द्वारा यदि बिन्दु अ, ब, स तीनों में से दो अथवा अधिक अनुभव प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दोनो अथवा तीनों में से जिसका अंक अधिक हो केवल एक का ही लाभ दिया जावेगा।

3.7.3 अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।

3.7.4 **शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के एस.एन.सी.यू./एन.बी.एस.यू. में पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी।**

3.7.5 लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों का दस्तावेज परीक्षण किया जायेगा तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार परीक्षायें ली जायेगी। दस्तावेज परीक्षण में दस्तावेज त्रुटि/दस्तावेज का अभाव पाये जाने अथवा गलत जानकारी देने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

3.8 **सचिवीय सहायक (Secretarial Assistant) पद हेतु <u>अंतिम मेरिट सूची :–</u>**

3.8.1 पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा।

3.8.2 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का–65 प्रतिशत।

3.8.3 (अ). अनुभव 15 अंक – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को 3 अंक प्रति वर्ष के आधार पर अधिकतम 15 अंक देय होगा।

(ब). अनुभव 10 अंक – अन्य शासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को 2 अंक प्रति वर्ष के आधार पर अधिकतम 10 अंक देय होगा।

(स). अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–67/2021/सत्रह/एक दिनांक 07 दिसम्बर 2021 माध्यम से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं छः माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जायेगा।

नोट – **अभ्यर्थी द्वारा यदि बिन्दु अ, ब, स तीनों में से दो अथवा अधिक अनुभव प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दोनो अथवा तीनों में से जिसका अंक अधिक हो केवल एक का ही लाभ दिया जावेगा।**

3.8.4 अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होगें। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगें।

3.8.5 कौशल परीक्षा–20 अंक पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा ली जावेगी।

3.8.6 कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को कुल अंको का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नही करने की दशा में उम्मीद्वारो को अपात्र माना जावेगा।

3.8.7 अंतिम प्रावीण्य सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता (स्नातक) के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक, अनुभव/कोविड–19 बोनस अंक तथा कौशल परीक्षा में प्राप्तांको के जोड़ के आधार पर तैयार की जावेगी।

3.8.8 **शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के एस.एन.सी.यू./एन.बी.एस.यू. में पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी।**

3.9 **प्रतीक्षा सूची :–**

उक्त पद के लिये वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा उक्त पद के लिये नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदो को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। **प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदो हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदो हेतु 100 प्रतिशत अभ्यार्थियों को प्रतीक्षा सूची मे रखा जायेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।**

04. भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें :–

4.1 मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनो पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

4.2 शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी, ए.आई.सी.टी.ई एवं संबधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

4.3 संविदा मानदेयः—संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय अनुसार मानदेय में परिवर्तन किया जा सकता है।

4.4 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।

4.5 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का मानदेय जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना अन्यथा उनके द्वारा एक माह का मानदेय जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।

4.6 संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय—समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।

4.7 संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्ते एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होंगे।

4.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (**टीप** :—स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे)

4.9 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

4.10 विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

4.11 आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

4.12 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

4.13 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

4.14 भर्ती प्रक्रिया पर होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ को होगा जो सभी अभ्यर्थियों को मान्य होगा।

4.15 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता/संस्था प्रमुख द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।

05. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

5.1 अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति के दौरान ईमेल आई.डी. nhmcgdavaappati@gmail.com में दावा प्रस्तुत कर सकते है। दावा आपत्ति हेतु पृथक से सूचना विभागीय वेबसाइट के माध्यम से दी जावेगी।

5.2 परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी व लिखित/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा स्थान की जानकारी समय–समय पर केवल विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में उपलब्ध करायी जावेगी। **समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की होगी। पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।**

5.3 आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर में ली जावेगी, जिसमें सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

5.4 दावा आपत्ति की प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

5.5 ऑनलाईन आवेदन भरते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में कार्यालयीन फोन नंबर 0771–2511301 एवं भर्ती संबंधी जानकारी हेतु फोन नंबर 0771–2511287 पर समय प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

(मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा अनुमोदित)

11/04/2022

संयुक्त संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़